बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0 छात्र विविध–231 / 11 1980

प्रेषक,

एस० एम० राजू।
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांकः– 27/8/13

विषयः प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी आवेदनों के निष्पादनार्थ दिशा निदेश।

महाशय,

गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्रों पर ही विचार किये जाने का निदेश आपको पूर्व प्रेषित है। किन्तु कतिपय छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की कठिनाईयों को दर्शाते हुए ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की सूचना दी गई है। छात्रों से वर्तमान में प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा वर्तमान में हॉर्ड कॉपी में दिये जा रहे आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाय। इस संदर्भ में छात्रों की कठिनाईयों एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा प्राप्त ऑफ लाईन (Off-line) आवेदन पत्रों पर भी विचार करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृत करने की अनुमति दी जाती है।

2– गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटित राशि में कमी को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलों को आवंटित राशि से गत वित्तीय वर्ष के लिए किये गये आवेदनों के आलोक में छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने की अनुमति दी जाती है।

3– माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(एस० एम० राजू)
सरकार के सचिव 27/8/13

ज्ञापांकः–4 / निदे0 छात्र विविध–231 / 11 1980 पटना, दिनांकः– 27/8/13

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण
2. सभी जिला पदाधिकारी
3. सभी उप विकास आयुक्त
4. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी
5. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
6. आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के सचिव 27/8/13

letter secretary